



राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसिज़ लिमिटेड के वैधानिक लेखा (वर्ष 2017-18) की लेखा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट जारी की

Posted On: 12 DEC 2019 7:20PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसिज़ लिमिटेड (आईएफआईएन) के वैधानिक लेखा (वर्ष 2017-18) की लेखा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट जारी की। वैधानिक लेखा परीक्षण डेलॉइट हस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी (डीएचएस) के द्वारा किया गया है।

अपने गठन (1 अक्टूबर, 2018) के बाद एनएफआरए की यह पहली एक्यूआर रिपोर्ट है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (2)(बी) तथा एनएफआरए नियम, 2018 के अंतर्गत एक्यूआर रिपोर्ट तैयार की गई है। एनएफआरए नियमों के तहत लेखा मानकों तथा लेखा परीक्षण मानकों की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्राधिकरण पर है।

एनएफआरए ने एक्यूआर रिपोर्ट में निष्कर्ष के तौर पर कहा है कि लेखा के मानकों के अनुपालन में विफलता इतनी महत्वपूर्ण है कि डीएचएस के पास लेखा रिपोर्ट जारी करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं था। इस तथ्य को स्पष्ट किया गया कि लेखा के मानकों के अनुरूप ही लेखा परीक्षण का काम पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएचएस की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और पद्धतियां अपर्याप्त एवं अप्रभावी पाई गईं।

इसके अतिरिक्त एनएफआरए इस बात का जांच करेगा कि क्या एक्यूआर रिपोर्ट के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (4) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

एक्यूआर की पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें :

एक्यूआर की पूरी रिपोर्ट के सारांश को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें :

आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसएस - 4741

(Release ID: 1596341) Visitor Counter : 176

Read this release in: English , Urdu